भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1259**

दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**कार्य स्थलों पर यौन शोषण**

**1259. श्रीमती रूपा गांगुलीः**

 क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कथित रूप से कार्य स्थलों पर सूचित की गई यौन शोषण की घटनाओं की संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है कि कंपनियां अपने वार्षिक प्रतिवेदनों में महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर हुई यौन शोषण की घटनाओं और उनके संबंध में कंपनियों द्वारा की गई कार्रवाई को उजागर करें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान मंत्रालय ने कौन-कौन से अन्य बड़े कदम उठाए हैं जिससे भारत में कंपनी या कोई भी अन्य कार्य स्थल महिलाओं के कार्य करने के लिए और अधिक अनुकूल एवं सुरक्षित हो तथा कार्य स्थल पर यौन अपराध का परिहार सुनिश्चित किया जा सके?

**उत्‍तर**

डा. वीरेन्‍द्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) : राष्‍ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो ने वर्ष 2014 से कार्यालय परिसरों में महिलाओं के शील के अपमान (भा.दं.सं. की धारा 509) श्रेणी के अंतर्गत कार्यस्‍थल पर यौन उत्‍पीड़न के संबंध में आंकड़े इकट्ठे करना शुरू कर दिया है । वर्ष 2014 और 2015 में क्रमश: कुल 57 और 119 मामले दर्ज किए गए । इसके अलावा, वर्ष 2016 में महिलाओं के शील के अपमान (भा.दं.सं. की धारा 509) के अंतर्गत कुल 7305 मामले दर्ज किए गए, जिनमें कार्यालय परिसरों में यौन उत्‍पीड़न के मामले भी शामिल हैं।

(ख) से (घ) : यौन उत्‍पीड़न अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत यह अधिदेशित है कि इस अधिनियम के अंतर्गत दायर मामलों और उनके निपटान की संख्‍या संगठन की वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्‍तुत की जाए अथवा जहां इस प्रकार की कोई रिपोर्ट तैयार करना अपेक्षित न हो, ऐसे मामलों की संख्‍या के बारे में जिला अधिकारी को सूचित किया जाए । हाल ही में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुरोध पर कारपोरेट मामले मंत्रालय ने दिनांक 31 जुलाई, 2018 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार **निदेशकों की रिपोर्ट में यौन उत्‍पीड़न अधिनियम के अनिवार्य क्रियान्‍वयन के बारे में सूचना देते हुए** मंत्रालय ने प्रत्‍येक कम्‍पनी के कम्‍पनी (खाता) नियम, 2014 में संशोधन किया है ।

 इसके अतिरिक्‍त, एसोसिएटिड चैम्‍बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्‍ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), फैडरेशन ऑफ इंडियन चैम्‍बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्‍ट्री (फिक्‍की), चैम्‍बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्‍ट्री (सीसीआई) तथा नैशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज़ कम्‍पनीज़ (नैस्‍कॉम) से भी अनुरोध किया गया है कि वे निजी क्षेत्रों में अपने सदस्‍यों के बीच अधिनियम का कारगर क्रियान्‍वयन सुनिश्‍चित करें ।

 सभी राज्‍य सरकारों और संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों से भी अनुरोध किया गया है कि वे उद्योग/वाणिज्‍य सचिव से कहें कि राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र के प्रत्‍येक उद्योग, व्‍यापारिक घराने, निजी क्षेत्र की इकाई में इसी प्रकार की कार्यशालाएं और जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ।

\*\*\*\*\*\*\*